V वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2017–18 के दौरान रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों के विभिन्न खंडों को मजबूत बनाने के लिए सम्मिलित प्रयास किए हैं। रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के माध्यम से दिए गए संकेत को अधिक कारगर रूप से अमल में लाने के उद्देश्य से नीतिगत दरों के मुताबिक मुद्रा बाजार की दरों में बेहतर समरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में निरंतर बनी रही अतिरिक्त चलनिधि के अवशोषण हेतु विविध प्रकार की लिखतों का उपयोग किया है। रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित स्थिति बनाए रखने के लिए ओवर द काउंटर (ओटीसी) तथा एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्ज़ (ईटीसीडी), दोनों पर अपना नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा लेनदेनों की प्रभावी निगरानी के लिए व्यवस्था करते हुए विनियमों को और तर्कसंगत बनाया गया ताकि निधियों के सीमा पार प्रवाह में सुविधा हो सके।

V.1 रिज़र्व बैंक ने तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों के विकास के लिए हमेशा प्रयास किया है। बैंक ने बाजार के प्रतिभागियों के परिचालनात्मक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान कई निर्देश/ परिपत्र जारी किए हैं। साथ ही, बैंक ने वित्तीय प्रणाली में निरंतर बनी रही अतिरिक्त चलनिधि की स्थिति को संभालने के लिए चलनिधि प्रबंधन के कई साधन प्रयोग में लाए। बैंक ने अत्यधिक उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार के ओटीसी तथा ईटीसीडी, दोनों खंडों में हस्तक्षेप किया। सीमा-पार के निधि प्रवाहों को सहज बनाने की दृष्टि से इन लेनदेनों की निगरानी के लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग ढांचा बनाए रखते हुए वर्ष के दौरान विनियमों, विशेष रूप से विदेशी निवेश, सीमा-पार के विलयन और अधिग्रहण, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण और अंतरण को तर्कसंगत बनाया गया।

वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफ़एमआरडी)

V.2 वित्तीय बाजार विनियमन विभाग को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), विदेशी मुद्रा और संबंधित डेरिवेटिव बाजारों के विकास, विनियमन एवं निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विभाग ने 2017-18 के दौरान वित्तीय बाजार, घरेलू और विदेशी, दोनों में सहभागिता को बढ़ाने, प्रतिभागियों के लिए पहुँच एवं लेनदेन संबंधी मानदंडों को आसान करने, उत्पादों के प्रकारों को बढ़ाने, वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने तथा बाजार अनुशासन को बनाए रखने के उद्देश्य से कई उपाय शुरू किए।

2017-18 के लिए कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

V.3 व्यापारिक लेनदेनों के इन्वॉइस भारतीय रुपयों (आईएनआर) में बनाने को बढ़ावा देने के साथ ही अनिवासियों को ऑनशोर भारतीय रुपया जोखिमों को हेज करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मार्च 2017 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनिवासी केंद्रीकृत कोषागारों को उनकी भारतीय सहयोगी कंपनियों के लेनदेनों पर भारतीय रुपया जोखिम को हेज करने की अनुमति दी गयी थी। अक्तूबर 2017 में इस सुविधा के दायरे को बढ़ाया गया जिसके लिए निवासियों के साथ भारतीय रुपये में इन्वॉइस किए गए व्यापारिक लेनदेन करने वाले अनिवासी आयातकों एवं निर्यातकों (एनआरआईई) को अपने भारतीय रुपये के एक्सपोज़र को उनके केंद्रीकृत कोषागारों / सामूहिक संस्थाओं के माध्यम से हेज करने की अनुमति दी गयी।

V.4 मुद्रा हेजिंग कार्यकलाप की परिचालनगत जटिलता को नवंबर 2017 में शुरू की गई एक नई सरलीकृत हेजिंग सुविधा के माध्यम से सुलझाने के प्रयास भी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत निवासी और अनिवासी, दोनों, किसी चालू एवं पूंजी खाता लेनदेन को लेकर विनिमय दर जोखिम को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, (फेमा) 1999 के तहत अनुमेय किसी भी उत्पाद के साथ हेज कर सकते हैं। साथ ही, एक्सपोज़र सिद्ध करने को

लेकर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता को हटा दिया गया। इसके अलावा, हेज संविदाओं को रद्द करने एवं पुनः दर्ज करने को लेकर अधिकांश प्रतिबंधों को हटाने के फलस्वरूप संस्थाएं मुक्त रूप से डाइनैमिक हेजिंग का सहारा ले सकीं।

V.5 फरवरी 2018 में, भारत में निवासी व्यक्तियों तथा विदेशी संविभाग निवेशकों (एफ़पीआई) को अंतर्निहित एक्सपोज़र के अस्तित्व को सिद्ध किए बिना सभी करेन्सी पेयर्स, जिनमें भारतीय रुपए शामिल हैं, को जोड़कर और सभी एक्स्चेंजों में संयुक्त रूप से मिलाकर 100 मिलियन अमेरिकी डालर के समतुल्य एकल सीमा तक पोज़ीशन (लॉन्ग तथा शॉर्ट) लेने की अनुमति दी गयी। इसके पूर्व यह सीमा अमेरिकी डालर–आईएनआर में पोज़ीशन के लिए प्रति एक्स्चेंज 15 मिलियन अमेरिकी डालर और ईयूआर (अर्थात, यूरो)-आईएनआर, जीबीपी (अर्थात, ग्रेट ब्रिटन पाउंड)-आईएनआर तथा जेपीवाई (अर्थात, जापानी येन)-आईएनआर के पेयर्स में पोज़ीशन के लिए, सभी को मिलाकर, प्रति एक्स्चेंज 5 मिलियन अमेरिकी डालर के समतुल्य थी।

V.6 रिज़र्व बैंक ने एफ़पीआई को 16 नवंबर 2017 को ओटीसी जी-सेक लेनदेन या तो टी+1 अथवा टी+2 आधार पर पूरा करने की अनुमति दी। इस उपाय से शॉर्ट स्क्वीज़ के दिनों में बाजार के दबाव को कम किया जा सकेगा।

V.7 जी-सेक बाजार में चलनिधि में सुधार लाने तथा शॉर्ट स्क्वीज़ का समाधान करने की दृष्टि से नवंबर 2017 में अनुमानित अधिविक्रय के लिए अनुमति दी गयी, परिणामस्वरूप बाजार प्रतिभागियों के लिए रिपो बाजार में प्रतिभूतियां उधार लेना अनिवार्य नहीं रहा। बाजार दबाव की अपवादात्मक परिस्थितियों में अनुमानित अधिविक्रय करने वाली संस्थाओं को अपने परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)/ बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफ़एस)/व्यापार के लिए धारित (एचएफ़टी) संविभागों से प्रतिभूतियां सुपुर्द करने की अनुमति दी गयी।

V.8 ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ़) के विकास को और सुविधाजनक बनाने के लिए मार्च 2018 में एफ़पीआई को आईआरएफ़ में लॉन्ग पोज़ीशन लेने के लिए ₹50 बिलियन की अलग सीमा प्रारंभ की गयी। एफ़पीआई द्वारा जी-सेक में निवेश के लिए निर्धारित की गयी वर्तमान सीमाएं (वर्तमान में ₹2,860 बिलियन) पूर्ण रूप से जी-सेक में निवेश के लिए उपलब्ध होंगी।

V.9 फाइनैन्शियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) एक स्वतंत्र फाइनैन्शियल बेंचमार्क ऐडमिनिस्ट्रेटर है जिसके द्वारा रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से वर्ष के दौरान पांच नए बेंचमार्क लागू किए गए, अर्थात, खजाना बिल (टी-बिल) दर, जमा प्रमाणपत्र (सीडी) कर्व, बाजार रिपो एकदिवसीय दर (एमआरओआर), मुंबई अंतर-बैंक वायदा प्रस्ताव दर (एमआईएफ़ओआर) तथा मुंबई अंतर-बैंक एक दिवसीय सूचीबद्ध स्वैप (एमआईओआईएस) दर। रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार एफ़बीआईएल ने 31 मार्च 2018 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा राज्य विकास ऋणों (एसडीएल), दोनों के मूल्यांकन बेंचमार्क का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया है।

V.10 मौजूदा रिपो दिशा-निर्देशों को सरल, सुसंगत एवं कारगर बनाने के लिए मार्च 2018 में रिपो को लेकर व्यापक निर्देशों का प्रारूप जारी किया गया। बाजार प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद इस संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

V.11 दिसम्बर 2016 में रुपया ब्याज दर ऑप्शन्स (आईआरओ) प्रारंभ किए गए। शुरुआती तौर पर बिलकुल सादे आईआरओ को ही अनुमति प्राप्त थी लेकिन जून 2018 में रुपया ब्याज दर ऑप्शन से संबंधित निर्देशों की समीक्षा की गई जिसके परिणामस्वरूप रुपया ब्याज दर स्वैपशन का प्रारंभ हुआ।

V.12 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय लिखतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफार्म फ्रेमवर्क के संबंध में प्रारूप दिशा-निर्देश सार्वजनिक टिप्पणियों/ सुझावों के लिए अक्तूबर 2017 में जारी किए गए। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ारों की पारदर्शिता में सुधार लाना, लेनदेन की अवधि तथा लागत को कम करना, प्रभावी लेखापरीक्षा सत्यापन को

सुलभ बनाना, जोखिम नियंत्रणों को बेहतर करना तथा बाजार निगरानी को बढ़ाना है। बाजार प्रतिभागियों ने अपनी राय तथा टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, जिनकी रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है। प्रतिसूचना के मूल्यांकन के आधार पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

V.13 जी-सेक बाजार में सहभागिता को बढ़ाने के लिए 6 जून 2018 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार पात्र प्रतिभागियों की संख्या को बढ़ाने तथा जी-सेक बाज़ार की अधिविक्रय तथा 'जब जारी' खंड में पोज़ीशन सीमाओं को शिथिल करने पर विचार किया गया है।

V.14 वर्ष के दौरान एफ़पीआई के कर्ज निवेशों के लिए विनियामक व्यवस्था की समीक्षा की गयी ताकि एफ़पीआई को निवेश की सीमाओं में वृद्धि, पात्र लिखतों, परिपक्वता काल एवं अवधि प्रबंधन इत्यादि के लिहाज से अपने संविभागों को संभालने के लिए अधिक छूट मिल सके। कर्जों में एफ़पीआई निवेशों की सीमाओं को बकाया स्टॉक से जोड़ दिया गया है - जो 2018-19 के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 5.5 प्रतिशत, एसडीएल के लिए 2 प्रतिशत तथा कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए 9 प्रतिशत है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को तर्कसंगत बनाया गया है जिसके लिए विभिन्न उप-श्रेणियों को बंद किया गया और सभी प्रकार के कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफ़पीआई निवेश के लिए एक एकल सीमा निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार की किसी प्रतिभूति में एफ़पीआई के कुल निवेशों की उच्चतम सीमा में संशोधन करते हुए उसे उक्त प्रतिभूति के बकाया स्टॉक के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। कर्ज में निवेश को लेकर तीन वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की आवश्यकता को कतिपय शर्तों के अधीन समाप्त कर दिया गया है। जिन अन्य समष्टि-विवेकपूर्ण उपायों को स्थापित किया गया है, वे हैं - प्रत्येक कर्ज श्रेणी में समग्र निवेश सीमा के प्रतिशत के रूप में एफ़पीआई निवेश के लिए संकेन्द्रण सीमाएं, अल्पावधि निवेश सीमाएं तथा कॉर्पोरेट ब्रॉन्ड में एकल के साथ-साथ सामूहिक निवेशक-वार सीमा।

2018-19 के लिए कार्य योजना

V.15 बैंकों एवं बाजार के अन्य बड़े प्रतिभागियों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा डेरिवेटिव्ज़ बाजार को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। विभाग विदेशी मुद्रा में हेज करने वाली लिखतों तक पहुँच को तर्कसंगत बनाने तथा ऐसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कदम उठाएगा। वित्तीय बाजारों की अखंडता को सुनिश्चित करना तथा बाजार के दुरुपयोग को समाप्त करना विभाग की कार्य योजना में उच्च स्थान पर जारी रहेगा। विभाग की योजना है कि वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के अनुरूप दिनांक 06 जून 2018 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए बाजार दुरुपयोग के संबंध में विनियम बनाएं।

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
(एफ़एमओडी)

V.16 वित्तीय बाजार परिचालन विभाग को मौद्रिक नीति के संचरण हेतु वित्तीय प्रणाली में चलनिधि का उपयुक्त स्तर बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन परिचालन को संचालित करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। विभाग स्पॉट, वायदा और फ्यूचर्स खंड़ों में परिचालनों के जरिए विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित स्थिति बनाए रखना सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य करता है।

2017-18 के लिए कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

मुद्रा बाजार और चलनिधि प्रबंधन

V.17 नवंबर 2016 में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) को वापस लेने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि की स्थिति बनी रही। विभाग ने मौद्रिक नीति के संकेत को अधिक कारगर रूप से अमल में लाने के उद्देश्य से मुद्रा बाजार की दरों को नीतिगत दरों के अनुरूप बनाने के लिए अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के अपने प्रयास जारी रखे। अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए चलनिधि प्रबंधन के विभिन्न साधनों जैसे - चलनिधि समायोजन

सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नियत/परिवर्ती दर रिवर्स रिपो तथा प्रत्यक्ष खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) का उपयोग किया गया है। साथ ही, अप्रैल-मई 2017 में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत जारी टी-बिल, जो मार्च 2018 में परिपक्व हो गए थे, चलनिधि के अतिरेक को संभालने के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में काम आया।

V.18 कर भुगतानों सहित बैंकों की वर्ष के अंत की सामान्य निधि आवश्यकताओं के कारण अतिरिक्त चलनिधि में एसबीएन की वजह से मार्च 2018 के अंत तक कमी आई। इसे 14 दिन के परिवर्ती दर रिपो परिचालनों के अतिरिक्त ₹1.7 ट्रिलियन के बहु-परिपक्वता काल के परिवर्ती दर रिपो परिचालनों के जरिए संभाला गया।

V.19 वर्ष के दौरान, अतिरिक्त चलनिधि की स्थितियों से निपटने के लिए विभाग ने नए साधन भी अपनाए। प्रणाली की अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए बैंक के पास प्रतिभूतियों की कमी (संपार्श्विक के रूप में उपयोग के लिए) होने की स्थिति में एक प्रतिभूति उधार तथा ऋण व्यवस्था (एसबीएलए) योजना लागू की गयी जिसे अपवादात्मक परिस्थितियों में उपयोग में लाया जाएगा। एसबीएलए योजना के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक रिवर्स रिपो परिचालन करने के लिए बड़ी संस्थाओं से प्रतिभूतियाँ उधार ले सकता है। वित्तीय बिल, 2018 के माध्यम से आरबीआई अधिनियम, 1934 में हाल ही में हुए संशोधन से स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) उपलब्ध कराई गयी है ताकि इसे अपनाया जा सके। एसडीएफ़ एक असीमित, असंपार्श्विक जमा सुविधा है, जिसे एक बार जब काम में लाया जाएगा तो इसकी मदद से रिज़र्व बैंक प्रतिभूतियों को लेकर किसी बाध्यता के बिना असीमित चलनिधि को अवशोषित कर सकता है।

V.20 एलएएफ़/ एमएसएफ़ (अर्थात, सीमांत स्थायी सुविधा) के लिए मार्जिन प्रणाली प्रतिभूतियों के बीच अवधि के आधार पर अंतर नहीं करती है क्योंकि इसी प्रकार की मार्जिन आवश्यकता प्रतिभूतियों के लिए उनकी अवशिष्ट परिपक्वताओं पर ध्यान दिए बिना निर्धारित की गई है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि एलएएफ़/एमएसएफ़ के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को 01 अगस्त, 2018 से प्रतिभूतियों की अवशिष्ट परिपक्वताओं के अनुरूप बनाया जाए। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता अवशिष्ट परिपक्वता की पांच भिन्न बकेट के लिए 0.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के दायरे में होगी। एसडीएल के मामले में प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता एक ही परिपक्वता बकेट के लिए 2.5 प्रतिशत से 6.0 प्रतिशत के दायरे में होगी। साथ ही, राज्य सरकारों को उनके निर्गमों के लिए आम जनता से रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह भी निर्णय लिया गया है कि रेट की गई एसडीएल के लिए मार्जिन आवश्यकता एक ही परिपक्वता बकेट की रेट नहीं की गई एसडीएल से 1 प्रतिशत कम होगी।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.21 वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में ओटीसी तथा ईटीसीडी क्षेत्रों में परिचालन के जरिए विदेशी मुद्रा बाजार में सुव्यवस्थित स्थिति बनाई रखी गयी। चलनिधि प्रभाव को भी उचित समय पर ओएमओ परिचालनों के जरिए संभाला गया।

V.22 वैश्विक विदेशी मुद्रा (एफ़एक्स) बाज़ार में मानकों तथा प्रथाओं को मजबूत बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने एक नया एफ़एक्स वैश्विक कोड तैयार किया है। इस कोड को 25 मई 2017 को लंदन में शुरू किया गया तथा इसे वैश्विक एफ़एक्स समिति (जीएफ़एक्ससी) द्वारा प्रत्येक अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय एफ़एक्स समिति (एलएफ़एक्ससी) के साथ समन्वयन में वैश्विक तौर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक जीएफ़एक्ससी का संस्थापक सदस्य है तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के साथ समन्वय करके भारत में एलएफ़एक्ससी स्थापित की जा रही है, जो एफ़एक्स वैश्विक कोड के कार्यान्वयन तथा उसके अनुपालन का कार्य करेगी।

V.23 वर्ष 2017-18 के लिए छठे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार स्पॉट यूएसडी/आईएनआर तथा आईएनआर के समक्ष अन्य प्रमुख मुद्राओं के लिए दैनिक संदर्भ दर के अभिकलन और प्रसार का कार्य, जो रिज़र्व बैंक द्वारा किया जा रहा था, अब फाइनैन्शियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाने लगा है।

V.24 विभाग ने साल भर में बाज़ार के उतार-चढ़ाव/प्रवृत्ति पर कई अनुसंधान अध्ययन किए जिससे नीति तथा परिचालनगत फ्रेमवर्क, दोनों को आकार देने में सहायता मिली है।

2018-19 के लिए कार्य योजना

V.25 विभाग मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप वर्ष के दौरान अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित एवं स्थायी/अस्थायी चलनिधि की आपूर्ति कर के प्रभावी रूप से चलनिधि प्रबंधन परिचालन करेगा। उभरने वाली चलनिधि स्थितियों की विभाग बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा तथा भारित औसत कॉल दर को नीतिगत दर के अनुरूप बनाना सुनिश्चित करने के लिए परिचालनों में यथोचित संशोधन करेगा। यह विदेशी मुद्रा दर में अनावश्यक अस्थिरता को कम करने के लिए हस्तक्षेप सहित विदेशी मुद्रा परिचालनों का प्रभावी ढंग से संचालन करना जारी रखेगा। विभाग वित्तीय बाज़ारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान जारी रखने पर भी विचार कर रहा है।

विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी)

V.26 एफ़ईडी कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देते हुए व्यापार और भुगतान को आसान बनाने के लिए प्रयत्नशील है। सभी सीमा-पार के लेनदेनों की प्रभावी निगरानी के लिए बुनियादी सिद्धांतों को जारी रखते हुए नई प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया। फेमा को वर्तमान व्यापार और आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप सुव्यवस्थित बनाने के अभियान को जारी रखते हुए वर्ष के दौरान कुछ और फेमा विनियमों को तर्कसंगत बनाया गया है। इस प्रक्रिया में, विनियमों में अधिक स्पष्टता आयी है और उनका समेकन हुआ है।

वर्ष 2017-18 की कार्य योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

विदेशी निवेश व्यवस्था को सरल बनाना

V.27 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) के संबंध में दिनांक 7 नवंबर 2017 को एक अधिसूचना (सं.फेमा 20(आर)) जारी की गई, जिसके माध्यम से - विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 जारी की गई थी, जिसमें निर्देशों को यथासंभव सिद्धांत-आधारित रखते हुए 2 मूल विनियमावलियों और 91 संशोधन अधिसूचनाओं को सम्मिलित किया गया है। इस अधिसूचना (तत्पश्चात के संशोधनों सहित) की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) अनुदेशों को सरल बनाते समय, विदेशी निवेश पर बनाई गई नीति विदेशी निवेश की दृष्टि से देश को एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए आवक पूंजी प्रवाह को सुविधाजनक बनाने की ओर उन्मुख थी।

(ii) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा, घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन और क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवा के लिए विदेशी निवेश की मौजूदा सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत किया गया, जिसमें 49 प्रतिशत से अधिक के निवेश हेतु सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है। इसके अलावा, मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड में 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास बना रहेगा। एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि हुई है।

(iii) विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी को सीमित देयता भागीदारी फ़र्मों के रूप में अथवा इसके विपरीत परिवर्तन को कुछ शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति दी गई है।

(iv) एफडीआई एवं एफआईआई की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने हेतु गठित समिति (अध्यक्ष : डॉ अरविंद मायाराम) की सिफारिशों के अनुरूप एफडीआई/एफपीआई को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत लिखतों को जारी करने की अवधि को 180 दिनों से घटा कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप 60 दिन किया गया है।

(v) रिपोर्टिंग संबंधी विलंब के संबंध में रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत करने पर विलंब-शुल्क की एक अवधारणा पेश की गई है।

(vi) अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) से भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को शेयरों का अंतरण स्वचालित मार्ग के तहत लाया गया।

(vii) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश संबंधी विभिन्न सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परामर्श से विदेशी निवेश सीमाओं की निगरानी हेतु एक नई प्रणाली स्थापित की है। निगरानी तंत्र को परिचालित करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रणालियां निक्षेपागारों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, उक्त निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन के पश्चात, सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को अपने संबंधित एनआरआई ग्राहकों द्वारा किए गए निवेश का विवरण निक्षेपागारों को प्रदान करना होगा। मौजूदा प्रणाली में स्टॉक एक्सचेंज के लेनदेनों पर एफपीआई द्वारा रिजर्व बैंक को की जाने वाली रिपोर्टिंग पूर्ववत जारी रहेगी।

सीमा-पारीय विलयन और अधिग्रहण

V.28 कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने की दृष्टि से सीमा-पारीय विलयन हेतु एक स्पष्ट और पारदर्शी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसमें भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों के बीच सीमा-पारीय विलयन, समामेलन तथा कंपनियों के बीच अन्य कोई व्यवस्था शामिल हैं। तदनुसार, फेमा सहित अन्य दृष्टिकोणों से सभी सीमा-पारीय विलयन प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए विनियम बनाए गए हैं। यह विनियम सीमा-पारीय विलयन के पश्चात फेमा, 1999 के तहत जिन लेनदेनों का पालन करना है, उन विनियमों को भी निर्धारित करते हैं।

भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण एवं अंतरण

V.29 विनियमों में अचल संपत्ति के अधिग्रहण एवं अंतरण के संबंध में एनआरआई तथा ओसीआई की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया है। साथ ही एनआरआई अथवा ओसीआई के पति/पत्नी द्वारा अचल संपत्ति के संयुक्त अधिग्रहण की अनुमति दी गई है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के नागरिक जो वहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों में शामिल हैं, जैसे: हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, जो भारत में रह रहे हैं और उन्हें सरकार द्वारा दीर्घकालिक वीज़ा (एलटीवी) दिया गया है, को विशिष्ट शर्तों के अधीन भारत में स्वयं रहने हेतु आवासीय इकाई के रूप में केवल एक आवासीय अचल संपत्ति खरीदने और अपने स्व-रोज़गार के लिए केवल एक अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति दी गई है। अचल संपत्तियों के अधिग्रहण, अंतरण तथा बिक्रीगत राशियों के प्रत्यावर्तन संबंधी अन्य शर्तों को भी तदनुसार संशोधित किया गया है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए फ्रेमवर्क में संशोधन

V.30 भारतीय संस्थाओं द्वारा समुद्रपार जारी किए गए रुपये में अंकित बॉन्ड (आरडीबी) को कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई की निवेश सीमा से बाहर कर दिया गया था।

ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण

V.31 रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए जारी पांचवे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी किए गए विकासात्मक और विनियामक नीतियों के अनुसार, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक कंपनियों को उच्च श्रेणी निर्धारित (एएए) कॉर्पोरेट्स के साथ-साथ नवरत्न तथा महारत्न श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) को पुनर्वित्तपोषित करने की अनुमति दी गई है, हालांकि इसमें ईसीबी नीति के अन्य सभी पहलुओं को अपरिवर्तित रखा गया है, जैसे : (i) मूल उधार की बकाया परिपक्वता राशि कम नहीं हुई है; और (ii) नए ईसीबी की समग्र लागत मौजूदा ईसीबी से कम है। मौजूदा ईसीबी के आंशिक पुनर्वित्तपोषण की भी अनुमति दी गई है, यह भी उपर्युक्त शर्तों के अधीन ही है।

व्यापार ऋणों हेतु जारी वचन-पत्रों (एलओयू) तथा चुकौती आश्वासन-पत्रों (एलओसी) को समाप्त करना।

V.32 भारत में गैर-पूंजीगत वस्तुओं के आयात के मामले में एक वर्ष तक की अधिकतम अवधि हेतु 20 मिलियन अमेरिकी डालर प्रति आयात लेनदेन तक तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के मामले में तीन वर्ष की अधिकतम अवधि हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों द्वारा किसी समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के पक्ष में वचन-पत्र (एलओयू) तथा चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) जारी करने की प्रथा को दिनांक 13 मार्च 2018 से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, भारत में आयात पर दिये जाने वाले व्यापार ऋणों हेतु साख-पत्र (एलसी) तथा बैंक गारंटियाँ जारी करना निर्धारित शर्तों के अधीन जारी रहेगा।

ईसीबी नीति को तर्कसंगत बनाना एवं उसका उदारीकरण

V.33 ईसीबी दिशा-निर्देशों को और अधिक तर्कसंगत एवं उदार बनाते हुए, बेंचमार्क दर पर 450 बेसिस पॉइंट्स की एक समान समग्र लागत सीमा निर्धारित की गई है। ट्रैक-I और ट्रैक-II के लिए बेंचमार्क दर को 6 महीने की अवधि के अमेरिकी डालर लाईबोर (या संबंधित मुद्रा के लिए लागू बेंचमार्क) के रूप में परिभाषित किया गया, और ट्रैक-III (रुपया ईसीबी) और रुपये में अंकित बॉन्ड (आरडीबी) के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की तदनुरूपी परिपक्वता पर अर्जित प्रचलित प्रतिफल राशि को परिभाषित किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी धारक से स्वचालित मार्ग के तहत जुटाई गई ईसीबी के लिए ईसीबी देयता 5 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक अथवा उसकी समतुल्य राशि तक के लिए किसी एंटिटी द्वारा जुटाई गई समग्र ईसीबी हेतु इक्विटी अनुपात को 7:1 तक बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियों, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अथवा भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत गठित पोर्ट ट्रस्ट्स तथा रखरखाव, मरम्मत, ओवरहौल तथा माल भेजने का कारोबार करने वाली कंपनियों को भी ईसीबी जुटाने हेतु पात्र बनाया गया है। उधारकर्ताओं के आधार पर (ट्रैक-I, II और III) अंतिम उपयोग सूचियों को सकारात्मक अंतिम - उपयोग सूची और नकारात्मक अंतिम-उपयोग सूची के रूप में अलग-अलग बनाए रखने की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि सभी ट्रैक्स के लिए केवल एक नकारात्मक सूची ही बनाए रखी जाए।

जावक विप्रेषण सेवा प्रदान करने के लिए गैर-बैंकिंग इकाइयों को सुविधा उपलब्ध कराना

V.34 ग्राहकों को दी जा रही जावक विप्रेषण सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से, जावक विप्रेषण सेवा प्रणाली को उदार बनाते हुए इसके परिचालन ढांचे को विस्तारित कर के इसे गैर-बैंकिंग इकाइयों तक विस्तार दिया गया है, बशर्ते ऐसे विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों के माध्यम से भेजे गए हों, और एडी श्रेणी-1 बैंक इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित केवाईसी / एएमएल (अर्थात, अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारण) मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के संबंध में आंकड़ों का संग्रह

V.35 उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत किए गए लेनदेनों को एडी बैंक मौजूदा पद्धति में विप्रेषक द्वारा की गई घोषणा के आधार पर अनुमति देते थे। एलआरएस सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने एवं निगरानी प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से एलआरएस के तहत व्यक्तियों द्वारा किए गए लेनदेनों के संबंध में एडी बैंकों को दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग करने हेतु एक नई प्रणाली स्थापित की गई है, लेनदेनों का सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु यह प्रणाली सभी एडी बैंकों को उपलब्ध होगी।

इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिअलाइजेशन प्रमाणपत्र (ईबीआरसी) जारी करना

V.36 निर्यात संबंधी डेटा में एकरूपता लाने और उसकी स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से डेटा के अखंडित प्रवाह को जारी रखने तथा इस संबंध में कागज़ी दस्तावेज़ीकरण को कम करने के लिए, एडी श्रेणी-1 बैंकों को निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) में निर्यातगत प्राप्तियों संबंधी विवरण को "जैसे भी, जब भी वसूली आधार पर" अद्यतन करने और ईडीपीएमएस में उपलब्ध विवरण के आधार पर ही ईबीआरसी जनरेट करने हेतु निदेशित किया गया है। ई-बीआरसी के साथ ईडीपीएमएस का एकीकरण करने से निर्यात विनियमन सरल हो जाएगा और शुल्क-वापसी एवं प्रोत्साहन राशियों का संवितरण ऑनलाइन हो जाएगा।

निर्यात घोषणा फॉर्म से छूट

V.37 विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में किए गए संशोधन के अनुरूप निर्यातकों को निर्यात वस्तुओं (रत्न और आभूषण, सोने तथा अन्य मूल्यवान धातु की वस्तुओं को छोड़कर) के निःशुल्क निर्यात के लिए निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) के प्रस्तुतीकरण से छूट देने संबंधी निर्धारित वार्षिक सीमा के अनुरूप मौजूदा मास्टर निदेश को संशोधित किया गया है एवं उपर्युक्त परिवर्तनों को उसमें दर्शाया गया है। इस प्रकार की निःशुल्क आपूर्ति किसी भी निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत किसी प्रोत्साहन राशि अथवा शुल्क-वापसी के लिए पात्र नहीं होगी। इसके अलावा, माल के ऐसे निर्यात, जिनमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किसी प्रकार के विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन शामिल नहीं हैं, के मामले में उन्हें रिजर्व बैंक से ईडीएफ प्रक्रिया से छूट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) को शक्तियों का प्रत्यायोजन

V.38 कुछ नेमी प्रकार के समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) संबंधी लेनदेनों की विलंब से की गई रिपोर्टिंग संबंधी मामलों के विशोधन हेतु एडी बैंकों को दी गई परिचालनगत शक्तियां वर्ष के दौरान बढ़ा दी गई हैं।

2018-19 के लिए कार्य योजना

शेष विनियमों को तर्कसंगत बनाना

V.39 विभाग ने अब तक सरकार के परामर्श से 18 मूल अधिसूचनाओं और उनके 193 संशोधनों को तर्कसंगत बनाया और उन्हें समेकित किया है। भारत में विदेशी निवेश पर विनियमों से संबंधित अधिसूचनाओं तथा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण संबंधी अधिसूचनाओं को तर्कसंगत बनाने का कार्य वर्ष 2017-18 का मुख्य कार्य था। निवासियों और गैर-निवासियों के बीच उधार लेने और उधार देने तथा ओडीआई से संबंधित शेष अधिसूचनाओं को केंद्र सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बेहतर नीति-निर्माण हेतु डेटा का लाभ उठाते हुए कारोबार की सुगम्यता में वृद्धि करना

V.40 वर्ष 2017-18 के दौरान, विभाग सूचना के संग्रह के लिए प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता के साथ एक प्रौद्योगिकी आधारित संकलन के चरण में पहुँच गया है। डेटा की लगभग निकटतम उपलब्धता और पहुंच की बदौलत विभाग की परिचालनगत दक्षता और समग्र कामकाज की प्रभावशीलता बढ़ेगी।